फार्म – ए

अंतर्गत न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश समस्तीपुर

उपस्थित :– समीर कुमार, सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर।

निर्णय की तिथि – 09.06.2026

(सत्र वाद संख्या–569/2017: 256/2017)

एन0एच0 बंगरा थाना कांड संख्या – 26/2017

परिवादी	बिहार सरकार द्वारा विमला देवी, पति– जवाहार साह, सा0–रजवा, वार्ड नं0–8, थाना–एन0एच0 बंगरा, जिला–समस्तीपुर।
अभियोजन की ओर से	श्री शिव कुमार प्रसाद, विद्वान लोक अभियोजक
अभियुक्त	1. शत्रुध्न सिंह, पिता– स्व0 लाली सिंह, सा0– रजवा, थाना– एनएच बंगरा, जिला– समस्तीपुर।
बचाव पक्ष की ओर	रजनी रंजन, विद्वान अधिवक्ता

Web Copy

फार्म – बी

अपराध की तिथि	16.03.2017
प्राथमिकी की तिथि	17.03.2017
आरोप पत्र की तिथि	12.06.2017
आरोप–गठन की तिथि	07.01.2020
साक्ष्य प्रारंभ करने की तिथि	28.09.2021
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	25.05.2026
निर्णय की तिथि	09.06.2026
सजा की तिथि	

अभियुक्त/ अभियुक्तगण की विवरणी :–

अभि। का क्रम संख्या	अभियुक्त/ अभियुक्तों का नाम	गिरफ्तार होने की तिथि	जमानत पर मुक्त होने की तिथि	आरोप की धारा	विमुक्त/ सजा	अधिरो–पित सजा	428 द0प्र0स0 के लिए विचारण की अवधि के दौरान हिरासत में बिताया गया समय
1.	शत्रुध्न सिंह	18.03.2017	01.08.2017	307,302, भा0द0वि0	विमुक्त	–	चार माह 13 दिन

फार्म – सी

अभियोजन/ बचाव पक्ष/ न्यायालय पक्ष

(क) अभियोजन साक्ष्य :–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रवृति (चक्षुदर्शी साक्ष्य, पुलिस साक्ष्य, विशेष साक्ष्य, चिकित्सक साक्ष्य, पंच साक्ष्य, अन्य साक्ष्य)
साक्षी संख्या–01	संजय कुमार साह	अन्य साक्षी
साक्षी संख्या–02	अरूण कुमार मुखिया	अन्य साक्षी
साक्षी संख्या –03	भानु प्रताप साह	अन्य साक्षी
साक्षी संख्या – 04	विमला देवी	सूचिका
साक्षी संख्या –05	डा0 पवन कुमार	चिकित्सक
साक्षी संख्या– 06	अरूण कुमार	अन्य साक्षी
साक्षी संख्या– 07	डा0 जयकांत पासवान	चिकित्सक

(ख) विपक्षी साक्ष्य :–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रवृति (चक्षुदर्शी साक्ष्य, पुलिस साक्ष्य, विशेष साक्ष्य, चिकित्सक साक्ष्य, पंच साक्ष्य, अन्य साक्ष्य)
नहीं	नहीं	नहीं

Web Copy

(ग) न्यायालय साक्ष्य, यदि कोई हो तो :–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रवृति (चक्षुदर्शी साक्ष्य, पुलिस साक्ष्य, विशेष साक्ष्य, चिकित्सक साक्ष्य, पंच साक्ष्य, अन्य साक्ष्य)
नहीं	नहीं	नहीं

अभियोजन/ बचाव पक्ष/ न्यायालय प्रदर्श की सूची :–

(क) अभियोजन :–

कम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरणी
01	01	पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर चिकित्सक का हस्ताक्षर

(ख) बचाव पक्ष :–

कम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरणी
नहीं	नहीं	नहीं

(ग) न्यायालय प्रदर्श :–

कम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरणी
नहीं	नहीं	नहीं

(घ) वस्तु प्रदर्श :–

कम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरणी
नहीं	नहीं	नहीं

नि र्ण य

1. अभियुक्त **1. शत्रुघ्न प्रसाद सिंह** का विचारण भा0द0वि0 की **धारा–302,307 भा0द0वि0** के अंतर्गत दण्डणीय अपराध के लिए किया गया।

2. औपचारिक प्राथमिकी एनएच बंगरा थाना कांड संख्या –26/2017 दिनांक 17.03.2017 ,अंतर्गत धारा–**302,307 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट** सूचिका

Web Copy

विमला देवी, पति– जवाहार साह, ग्राम – रजवा, थाना–एनएच बंगरा, जिला–समस्तीपुर, के आवेदन पर दर्ज की गयी है। अपने आवेदन में सूचिका का कहना है कि दिनांक 16.03.17 (समय लगभग 22.30 बजे रात्रि जब वह अपने पति के साथ अपने घर के पीछे ब्रहम बाबा के पास तंबाकु पथारी में सोयी थी) को उसके ग्रामीण विश्वनाथ सिंह, राजीव कुमार, बबलु कुमार, शत्रुध्न सिंह, प्रमोद सिंह, शिवचंद्र सिंह और प्रमिला देवी सभी मिलकर हाथ में लिये पिस्तौल से उसे तथा उसके पति जवाहर साह पर गोली चलाकर भाग गये जिससे सूचिका और उसके पति गंभीर रूप से जख्मी हो गये। ग्रामीण लोग की मदद से सूचिका तथा उसके पति को ताजपुर अस्पताल पहूँचाया गया जहां से उन्हें समस्तीपुर सदर अस्पताल पहूँचाया गया। समस्तीपुर सदर अस्पताल से पटना जाने के क्रम में सूचिका के पति की मृत्यु हो गयी। सूचिका ने अपने आवेदन में घटना का कारण बताते हुए कहा है कि कथित घटना के दो तीन दिन पहले सूचिका के पड़ोसी भोला साह को विश्वानथ सिंह के द्वारा ट्रेक्टर से जुताई करने को कहने के बावजुद भोला साह द्वारा जुताई नहीं किये जाने के आवेश में विश्वनाथ सिंह एवं भोला साह के बीच मारपीट हुई। विश्वनाथ सिंह का मानना था कि सूचिका के लड़कों के द्वारा मारपीट की गई है जिस कारण विश्वनाथ सिंह आक्रोशित हो सूचिका व उसके पति से दुश्मनी बनाये हुए था और इसी दुश्मनी के कारण इनलोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है।

3. लिखित आवेदन को आधार बनाकर कांड का अनुसंधान किया गया और अनुसंधान के उपरांत पुलिस पदाधिकारी के द्वारा आरोप पत्र संख्या–56/2017, दिनांक 12.06.17. अंतर्गत धारा– 307/302/34 भा0द0वि0 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पंचम श्रेणी ,समस्तीपुर के न्यायालय में समर्पित किया गया। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पंचम श्रेणी समस्तीपुर के न्यायालय के द्वारा दिनांक 30–06–2017 को इस कांड का संज्ञान धारा– 307/302/34 भा0द0वि0 और 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत लिया गया तथा दिनांक 06.07.2017 को अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को पुलिस पेपर प्राप्त कराया गया एवं वाद का दौड़ा–सुपुर्द किया गया।

4. दिनांक 07.01.2020 को अभियुक्त **1. शत्रुध्न प्रसाद सिह** के विरूद्ध धारा 307/302/34 भा0द0वि0 भा0द0वि0 के तहत आरोप का गठन किया गया, तत्पश्चात आरोप उसे हिंदी में पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुनकर व समझकर अभियुक्त आरोप से इंकार किया तथा वाद विचारण का दावा किया।

Web Copy

सा क्ष य

5. **अभियोजन साक्षी संख्या–1** संजय कुमार साह है जो सूचिका व मृतक का पुत्र है , अपने मुख्य परीक्षण में कहता है कि घटना आज से साढे चार साल पहले की है। रात के साढे दस बजे का समय था। वह अपने घर में सोया हुआ था, हल्ला होने पर घर से बाहर निकलकर आया तो देखा कि उसके माता पिता को गोली लगी हुई है तथा वह दोनों को उठाकर अस्पताल ले गया। साक्षी कहता है कि उसे अपने मां से घटना के संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई और न ही उनके माता पिताजी ने यह बताया कि उन्हें गोली किसने मारा। साक्षी अपने माता पिता को पहले ताजपुर अस्पताल ले गया और फिर वहां से समस्तीपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया और फिर वहां से साक्षी के पिताजी को पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया, जहां पटना जाने के क्रम में रास्ते में ही उनके पिताजी की मृत्यु हो गयी, तब वह अपने पिताजी को लेकर वापस आ गया। साक्षी को घ टना के कारण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त शत्रुध्न सिंह को पहचानने का दावा किया है और कहा है कि अभियुक्त उसका ग्रामीण है।

अभियोजन की ओर से साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कराया गया है तथा अभियोजन की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस बात से इनकार किया है कि पुलिस को दिये बयान में वह कहा था कि वह अन्य लोगों के साथ आवाज की दिशा में दौड़ा तो देखा कि उसके पिता जवाहार साह और उसकी मां विमला देवी बुरी तरह जख्मी अवस्था में है तथा दोनों के सिर से खुन गिर रहा था तथा उसकी मां बतायी कि विश्वनाथ सिंह, राजीव कुमार, बबलु कुमार, शत्रुध्न सिंह, प्रमोद सिंह, शिवचंद्र सिंह, सभी गोली मारकर भाग गये तथा तीन दिन पहले पड़ोसी भोला साह एवं विश्वनाथ सिंह के बीच झगड़ा तथा मारपीट हुई थी जिसमें उसके भाई अरूण कुमार उर्फ मुखिया तथा अन्य लोग बीच–बचाव किये थे इसपर विश्वनाथ सिंह तथा उनके बेटों को लगा कि ये लोग उसे मारने आये हैं और उसी बात के अखज के कारण ये लोग साक्षी के माता पिता को जान मारने की धमकी दिये थे और उसी रात्रि को उक्त घटना हुई।

बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी कहता है कि जिस वक्त वह घटनास्थल पर पहूँचा था उस वक्त उसके माताजी एवं पिताजी दोनों बेहोश थे।

6. **अभियोजन साक्षी संख्या 2** अरूण मुखिया है जो सूचिका व मृतक

Web Copy

का पुत्र है, अपने मुख्य परीक्षण में कहता है कि घटना आज से लगभग साढे चार साल पहले की है। समय साक्षी को पता नहीं है। साक्षी पुनः कहता है कि रात को लगभग दस ग्यारह बजे की बात होगी, उस वक्त वह अपने घर पर था। वह घटना को अपनी आंखो से नहीं देखा था। घटना में उसके माता पिता घायल हुए थे परंतु कैसे घायल हुए वह नहीं देखा था। साक्षी को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि उसके माता पिता को गोली किसने मारी थी। साक्षी अपने माता–पिता का ईलाज समस्तीपुर सदर अस्पताल में कराया जहां से उसके पिताजी को पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया जहां जाने के क्रम में रास्ते में ही उनके पिता की मृत्यु हो गयी।

अभियोजन की ओर से साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कराया गया है तथा अभियोजन की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस बात से इनकार किया है कि पुलिस को दिये बयान में वह कहा था कि उसकी मां ने बताया कि विश्वनाथ सिंह, राजीव कुमार, बबलु कुमार, शत्रुध्न सिंह, प्रमोद सिंह, शिवचंद्र सिंह विश्वनाथ सिंह की पत्नी वहां आकर गोली मारी थी।

बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी कहता है कि वह न्यायालय से समन जाने पर गवाही देने आया है।

7. **अभियोजन साक्षी संख्या 3** भानु प्रताप साह है जो अपने मुख्य परीक्षण में कहता है कि घटना आज से लगभग साढे चार साल पहले की है। रात का समय था, साक्षी को निश्चित समय की जानकारी नहीं है। साक्षी को इस बात की जानकारी नहीं है कि जवाहर साह को गोली किसने मारा था। साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को ग्रामीण होने के कारण पहचानने का दावा किया है।

अभियोजन की ओर से साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस बात से इनकार किया है कि पुलिस को दिये बयान में वह कहा था कि वह जब घटनास्थल पर गया तो जवाहर साह और उसकी पत्नी को जख्मी हालत में देखा तथा जवाहर साह का लड़का और उसकी पत्नी ने उसे बताया कि विश्वनाथ सिंह, राजीव कुमार, बबलु कुमार, शत्रुध्न सिंह, प्रमोद सिंह, शिवचंद्र सिंह विश्वनाथ सिंह की पत्नी वहां आकर गोली मारी थी।

बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी कहता है कि वह न्यायालय से समन जाने पर गवाही देने आया है।

8. **अभियोजन साक्षी संख्या 4** विमल देवी है जो इस कांड की सूचिका भी है, अपने मुख्य परीक्षण में कहती है कि घटना आज से चार साल पहले की है, रात

Web Copy

दस बजे की घटना है। उस वक्त वह अपने पति के साथ तंबाकु के पथारी में सोई हुई थी। गोली की आवाज सुनकर वह गयी। गोली किसने चलाया वह नहीं देखी। गोली उसके पति के कनपट्टी एवं गला में लगी। साक्षी सह सूचिका कहती है कि गोली मारने वाले कितने लोग थे वह नहीं देखी है।

अभियोजन की ओर से साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस बात से इनकार किया है कि पुलिस को दिये बयान में वह कही थी कि उसके ग्रामीण विश्वनाथ सिंह, राजीव कुमार, बबलु कुमार, शत्रुध्न सिंह प्रमोद सिंह, शिवचंद्र सिंह, प्रमिला देवी सब मिलकर दिनांक 126.03.17 को लगभग साढे दस बजे रात में जब वह अपनी पति के साथ तंबाकु के पथारी में सोयी हुई थी तो अपने हाथ में पिस्तौल से साक्षी तथा उसके पति पर हमला कर दिये जिससे वे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गये। साक्षी न्यायालय में उपस्थित मुदालय को पहचानने का दावा करती है और कहती है कि मुदालह उसका जाउत है।

बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी कहती है कि वह अंधेरा होने की वजह से गोली चलाने वाले को नहीं देखी। दरोगा जी साक्षी को बयान पढकर नहीं सुनाये।

9. **अभियोजन साक्षी संख्या 05** डा0 पवन कुमार है, जो अपने मुख्य परीक्षण में कहते हैं कि -" On 17th day of March 2017, he was posted as M.O at Sadar Hospital Samastipur and on that day Dr. Jaikant Paswan was also posted there. On that day Dr. Jaykant Paswan conducted the postmortem of the dead body of Jawahar Sah, age about 62 yrs, Male, S/O- Late Subelal Sah , of Village- Rajwa, P.S- N.H. Bangra , Distt- Samastipur, and he was with him as observer. आगे कहतें है कि Postmortem Examination done on the deceased body and found following antemortem injuries- On external examination – i. Wound of entry- Frontal region of scalp size about 1/2 inch diameter x circular with a regular margin and charing of surrounding hairs and skin. Margin inverted.

ii- wound of exit- 1inch X 2/3 inch wound with bleeding with everted margin in the left year lower aspect.

Web Copy

Iii- On probing – Both wound communicated each other.

On internal examination- Frontal bone was fractured with blood and blood clots present in the cranial cavity. Brain matters were lacerated.

All viscera were pale found.

Time elapsed since death- within 36hrs.

Opinion regarding death- due to hemorrhage and shocked caused by above mentioned injuries produced by fire arm weapons. This postmortem report is marked as exhibit no. 1.

बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी कहता है कि " Jaykant Paswan is now posted at DMCH Surgery Department.

10. **अभियोजन साक्षी संख्या 6 अरूण कुमार है,** अपने मुख्य परीक्षण में कहता है कि घटना आज से पांच साल पहले की है। रात के 8 या 9 बजे का समय था। वह अपने घर पर था। गोली की आवाज हुई तो वे लोग अपने घर से गोली की आवाज की ओर गये जो जवाहार साह का तंबाकु का पथारी था, वहां गया तो देखा कि जवाहर साह को गोली लगी हुआ था तथा वह छटपटा रहा था तथा उनकी पत्नी विमला देवी को भी गोली लगा हुई थी और वह बेहोश हो गयी थी। उसके बाद वे लोग उनलोगों को एक गाड़ी पर बैठाकर ताजपुर अस्पताल लाये जहां से उनलोगों को समस्तीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया और विमला देवी का ईलाज समस्तीपुर में हुआ और उसके पति जवाहर साह को पटना रेफर कर दिया जहां जाने के क्रम में रास्ते में उनकी मौत हो गयी। साक्षी कहता है कि जब वह घटनास्थल पर पहूँचा तब वहां पर इन दोनों के अलावा तीसरा कोई आदमी नहीं था। इसलिए उसे घटनास्थल पर यह नहीं पता चला कि गोली किसने मारा। साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को पहचानने का दावा किया है।

अभियोजन की ओर से साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस बात से इनकार किया है कि पुलिस को दिये बयान में वह कहा था कि घटनास्थल पर पता चला कि विश्वनाथ सिंह, राजीव कुमार, बबलु कुमार, शत्रुध्न सिंह, प्रमोद सिंह, शिवचंद्र सिंह विश्वनाथ सिंह की पत्नी वहां आकर गोली मारी थी तथा घटना से तीन दिन पहले भोला साह तथा विश्वनाथ सिंह के बीच झगड़ा हुआ था और मारपीट भी हुई थी और उसी झगड़ा मारपीट में जवाहर साह का लड़का मुखिया बीच बचाव करने आये हुए

Web Copy

थे और इसी पर विश्वानाथ सिंह और उसके घरवालों को लगा कि मुखिया भोला साह का पार्टी बनकर मारने आया है। साक्षी ने इस बात से इनकार किया है कि वह अभियुक्त से मिलकर सही बात छिपा रहा है।

अभियोजन साक्षी का न्यायालय की ओर से प्रश्न किया गया जिसमें साक्षी कहता है कि उसका घर घटनास्थल से 50 मीटर की दुरी पर है। साक्षी को आज तक पता नहीं चला कि मृतक की हत्या किसने की थी।

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण किया गया, अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी कहता है कि अभियुक्त शत्रुध्न सिंह उसे बोले कि चलिये कोर्ट में गवाही देना है।

11. **अभियोजन साक्षी संख्या 07 डा0 जयकांत पासवान हैं** जो अपने मुख्य परीक्षण में कहते हैं कि – " On 17th day of March 2017, he was posted as M.O at Sadar Hospital Samastipur and on that day Dr. pawan Kumar was also posted there. On that day he conducted the postmortem of the dead body of Jawahar Sah, age about 62 yrs, Male, S/O- Late Subelal Sah , of Village- Rajwa, P.S- N.H. Bangra , Distt- Samastipur, and Dr. Pawan Kumar was also there alongwith him as observer. आगे कहते हैं कि Postmortem Examination done on the deceased body and found following antemortem injuries-

Rigor mortis was present-

On external examination – i. Wound of entry- Frontal region of scalp size about 1/2 inch diameter x circular with a regular margin and charing of surrounding hairs and skin. Margin inverted.

ii- wound of exit- 1inch X 2/3 inch wound with bleeding with everted margin in the left year lower aspect.

Iii- On probing – Both wound communicated each other.

On internal examination- Frontal bone was fractured with blood and blood clots present in the cranial cavity. Brain matters were lacerated.

All viscera were pale found.

Web Copy

Time elapsed since death- within 36hrs.

Opinion regarding death- due to hemorrhage and shocked caused by above mentioned injuries produced by fire arm weapons. This postmortem report is marked as exhibit no. 1 before.

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण किया गया, अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी कहता है कि इस केस में वेसरा संरक्षित नहीं किया गया था। सभी वेसरों का रंग उजला हो गया था, इसलिए साक्षी ने अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि All viscera were pale. साक्षी कहता है कि मृतक के मरने का समय 36 घंटा के अंदर का होगा। जख्म के अनुसार नजदीक से गोली मारा गया है। मारने की दुरी लगभग 01 मीटर तक हो सकती है। पुनः कि साक्षी सटीक दुरी नही बता सकता। मृतक के शरीर पर पाये गये जख्म के अनुसार साक्षी यह नहीं बता सकता है कि किस बोर का गोली का उपयोग किया गया है।

<u>सफाई बयान</u>

12. अभियोजन पक्ष की सहमति के उपरांत दिनांक 13.01.2026 को अभियोजन साक्ष्य बंद किया गया और दिनांक 03.02.2026 को अभियुक्त का सफाई बयान लिया गया, जिसमें अभियुक्त ने निर्दोष होने का दावा किया है। अभियुक्त/ बचाव पक्ष के द्वारा सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया गया है।

पूरे विचारण में अभियुक्त अपना बचाव इस आधार पर कर रहा है कि वह निर्दोष हैं और उसने कोई अपराध नहीं किया है और रंजिश वश उसे झुठे मुकदमें में फंसाया गया है।

<u>ब ह स</u>

13. बहस के दौरान विद्वान लोक अभियोजक का कहना था कि अभियोजन अपने वाद को साबित करने में सफल रहा है। अभियोजन की ओर से कुल सात साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है, जिसमें साक्षी संख्या 1 तथा 2 मृतक का पुत्र है तथा साक्षी संख्या 4 (स्वंय सूचिका) मृतक की पत्नी है। विद्वान लोक अभियोजक का यह भी कहना था कि सूचिका ने अपने प्राथमिकी आवेदन में कहा है दिनांक 16.03.17 को उसके ग्रामीण विश्वनाथ सिंह, राजीव कुमार, बबलु कुमार, शत्रुध्न सिंह, प्रमोद सिंह, शिवचंद्र सिंह और प्रमिला देवी सभी मिलकर समय लगभग 22.30 बजे रात्रि जब वह अपने पति के साथ अपने घर के पीछे ब्रहम बाबा के पास तंबाकु पथारी में सोयी थी, अपने हाथ में लिये पिस्तौल से उसे तथा उसके पति जवाहर साह पर गोली चलाकर भाग गये जिससे सूचिका और

Web Copy

उसके पति गंभीर रूप से जख्मी हो गये। ग्रामीण लोग की मदद से सूचिका तथा उसके पति को ताजपुर अस्पताल पहूँचाया गया जहां से उन्हें समस्तीपुर सदर अस्पताल पहूँचाया गया। समस्तीपुर सदर अस्पताल से पटना जाने के क्रम में सूचिका के पति की मृत्यु हो गयी। सूचिका ने अपने आवेदन में घटना कारित करने की मंशा भी स्पष्ट किया है और कहा है कि विश्वनाथ सिंह सूचिका व उसके पति से दुश्मनी बनाये हुए थे और इसी दुश्मनी के कारण विश्वनाथ सिंह एवं अन्य लोगों में जिसमें अभियुक्त भी शामिल था, मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। विद्वान लोक अभियोजक का कहना था कि घटना को काफी नजदीक से अंजाम दिया गया है और सूचिका घटना की प्रत्यक्षदर्शी है, ऐसे में प्राथमिकी आवेदन में उसके द्वारा कही गयी बातों को नहीं मानने का कोई आधार नहीं है। अतः विद्वान लोक अभियोजक का कहना था कि प्राथमिकी अभियुक्त को दोष सिद्ध घोषित करते हुए उचित सजा दी जाय।

वहीं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना था कि न्यायालय के फैसला का आधार सिर्फ ठोस सबुत होने चाहिए न कि कुछ अन्य। प्रस्तुत वाद में अभियोजन की ओर से कुल सात साक्षी प्रस्तुत किये गये जिसमें से साक्षी संख्या 1,2,3,4 व 6 को पक्षद्रोही घोषित कराया गया है और उन्होंने अभियोजन वाद का समर्थन नहीं किया है। अतः बचाव पक्ष के अधिवक्ता का कहना था कि अभियोजन अपने वाद को साबित करने में पुरी तरह विफल रहा है और अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार है और उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाय।

Web Copy

विचारणीय बिन्दु

14. अब न्यायालय के समक्ष प्रमुख विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है ?

म न्त व्य

15. किसी भी निर्णय पर पहुँचने से पहले विचारण के दौरान आये साक्ष्य की विवेचना किया जाना आवश्यक है और तत्पश्चात् ही कोई निर्णय पर पहुँचा जा सकता है।

अपने आवेदन में सूचिका का कहना है कि दिनांक 16.03.17 को उसके ग्रामीण विश्वनाथ सिंह, राजीव कुमार, बबलु कुमार, शत्रुध्न सिंह, प्रमोद सिंह, शिवचंद्र सिंह और प्रमिला देवी सभी मिलकर समय लगभग 22.30 बजे रात्रि जब

वह अपने पति के साथ अपने घर के पीछे ब्रहम बाबा के पास तंबाकु पथारी में सोयी थी, अपने हाथ में लिये पिस्तौल से उसे तथा उसके पति जवाहर साह पर गोली चलाकर भाग गये जिससे सूचिका और उसके पति गंभीर रूप से जख्मी हो गये। ग्रामीण लोग की मदद से सूचिका तथा उसके पति को ताजपुर अस्पताल पहूॅचाया गया जहां से उन्हें समस्तीपुर सदर अस्पताल पहूॅचाया गया। समस्तीपुर सदर अस्पताल से पटना जाने के क्रम में सूचिका के पति की मृत्यु हो गयी। सूचिका ने अपने आवेदन में घटना का कारण बताते हुए कहा है कि कथित घटना के दो तीन दिन पहले सूचिका के पड़ोसी भोला साह को विश्वानथ सिंह के द्वारा ट्रेक्टर से जुताई करने को कहने के बावजुद भोला साह द्वारा जुताई न किये जाने के आवेश में विश्वनाथ सिंह एवं भोला साह के बीच हुई मारपीट में विश्वनाथ सिंह के द्वारा सूचिका के लड़कों के द्वारा मारपीट कर दिये जाने की बात का बोला जाना था, जिस कारण विश्वनाथ सिंह आक्रोशित हो सूचिका व उसके पति से दुश्मनी बनाये हुए थे और इसी दुश्मनी के कारण इनलोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है।

अपने वाद को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से कुल 7 साक्षियों को प्रस्तुत किया गया। साक्षी संख्या 1,2,3,4,6 अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित कराये गये हैं। साक्षी संख्या 1 तथा 2 मृतक और सूचिका के पुत्र है जिन्होंने घटना का समर्थन नहीं किया है। साक्षी संख्या 1 अपने मुख्य परीक्षण के कंडिका 2 में कहता है कि उसकी अपने मां से घटना के संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई थी और न ही उसकी मां ने यह बताया था कि गोली किसने मारा। साक्षी को घटना का कारण भी नहीं पता है। वही साक्षी संख्या 2 ने भी अपने मुख्य परीक्षण के कंडिका 2 के अंतिम पंक्ति में कहा है कि गोली मारते हुए उसने किसी को नहीं देखा। साक्षी संख्या 3 सूचिका का ग्रामीण है, उसने भी घटना का समर्थन नहीं किया है। साक्षी संख्या 4 जो कि स्वंय सूचिका है तथा अपने मृतक पति को गोली लगते वक्त वह साथ थी, वह अपने मुख्य परीक्षण के कंडिका 2 में कहती है कि उसके पति के कनपट्टी व गला में गोली लगा था परंतु गोली किसने चलाया और गोली चलाने वाले कितने लोग थे वह नहीं देख पायी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 8 में कहा है कि जिस कागज पर दरोगा जी इसका बयान लिये, उसे पढकर नहीं सुनाया गया था। साक्षी संख्या 6 जो कि सूचिका का ग्रामीण है, उसने भी घटना का समर्थन नहीं किया है तथा उसने भी न्यायालय द्वारा पुछे गये प्रश्नोत्तर में कहा है कि उसे आज तक नहीं पता चला कि मृतक की हत्या किसने किया था। साक्षी संख्या 5 और 7 चिकित्सक

Web Copy

हैं और मृतक के अंत्य परीक्षण रिपोर्ट को साबित करने का काम किया है, परंतु इनका बयान यह साबित नहीं करता है कि मृतक की हत्या किसने की।

16. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सभी साक्षियों के बयानों का गहन विष्लेषण करने पर पाता हूॅ कि अभियोजन की ओर से कुल सात साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि सूचिका के पति को गोली लगी थी और गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गयी परंतु गोली अभियुक्त के द्वारा चलायी गयी अथवा घटना के वक्त अभियुक्त घटनास्थल पर मौजुद थे, इसको लेकर कोई भी साक्ष्य विचारण के दौरान नहीं आया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। ऐसे में ऐसा सबुत अभिलेख पर उपलब्ध नहीं जान पड़ता है जिससे कि अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जा सके। अत

आदेश

अभियुक्त 1. शत्रुध्न सिंह को भा0द0वि0 की धारा– 307,302, के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया जाता है तथा उसे स्वयं के बंध पत्र के दायित्व से मुक्त किया जाता है तथा उसके प्रतिभूओं को भी बंध पत्र के दायित्व से मुक्त किया जाता है।

अतः कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें और निर्णय की प्रति जिलाधिकारी, समस्तीपुर को भेजें।

निर्णय खुले न्यायालय में हिन्दी में सुनाया गया।

मेरे द्वारा लेखापित एवं संशोधित,

(समीर कुमार)
सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर।
09.06.2026

(समीर कुमार)
सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर।
09.06.2026

Date of Judgment / Order	**09.06.2026**
Date of Reserving Judgment / Order	**25-05-2026**
Uploading Date	10-06-2026
Uploaded by	Ashish kumar

Web Copy